Government of Rajasthan
(Water Resources Department)

No:F.9(199)AS/I/Cell/15/ Dated:

The Addl. Chief Engineer,
Water Resources Zone,
Udaipur.

Sub: Reference to the Standing Committee for Settlement of Disputed claims under clause 23 of the conditions of contract for the work **" Construction of Sangwara Canal Disty. RD 0 to 15 Km offtaking from BBSC at RD 72800 Mt "**

Sir,

I am directed to convey sanction of the Government to Communicate the minutes of meeting of the Empowered Standing Committee held on 09.06.2015 under SOP item no 41-A.

Enclosed: As above

Your faithfully,

Deputy Secretary & TA
to Chief Engineer, WR,.
Rajasthan, Jaipur

No:F.9(199)AS/I/Cell/15/ 2960 Dated: 30/7/2015

Copy of along with copy of minutes forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Superintending Engineer, Const. Circle Mahi Project, Banswara.
2. Superintending Engineer (I.T), O/o Chief Engineer, SWRPD, ID&R , Jaipur to upload the decision of Empowered Standing Committee on Departmental Website.
3. Executive Engineer, Water Resource Division LMC Gadhi.
4. M/s Manda Developers & Builders Pvt. Ltd., Opp. 220 K.V.Power House, Jaipur. Road, Bikaner-334003.

Enclosed: As above

AD(IT)
5.8.15

Deputy Secretary & TA
to Chief Engineer, WR,.
Rajasthan, Jaipur

कार्यवाही विवरण एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी बैठक दिनांक 09.06.2015

शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 09.06.2015 को आयोजित एम्पावर्ड स्टेंन्डिंग कमेटी की बैठक में M/s Manda Developers & Builders Pvt. Ltd., Opp. 220 K.V.Power House, Jaipur Road, Bikaner-334003 अनुबंध संख्या 22/2012-13 " Construction of Sangwara Canal Disty. RD 0 to 15 Km offtaking from BBSC at RD 72800 Mtr." के क्लॉज 23 के तहत प्रस्तुत क्लैम्स पर लिया गया निर्णय :–

आयोजित बैठक मे निम्न अधिकारियो ने भाग लिया :–

1. श्री वीरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्री जाकिर हुसैन, संयुक्त शासन सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव (वित्त विभाग)।
3. श्री सुमनेश लाल माथुर, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता जल संसाधन राजस्थान जयपुर।
4. श्री अशोक बाबेल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन सम्भाग, उदयपुर।

अधिशासी अभियंता वितरण खण्ड (बामुन) माही परियोजना गंढी ने अवगत कराया कि मैसर्स मण्डा डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि. बीकानेर वादी द्वारा संविदा की धारा 23 के अन्तर्गत अपना विवाद/क्लेम उनके प्रार्थना पत्र 245 दिनांक 30.11.14 प्राप्ति दिनांक 09.12.14 को 6 क्लेम कुल राशि रू. 1,26,60,427/– का प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन ऑफ सागवाडा वितरिका आरडी 0 से 15 किमी आफटेकिंग फ्रोम बीबीएससी आरडी 72800 मी संविदा संख्या 22 वर्ष 2012–13 से सम्बन्धित है। इस कार्य हेतु अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 1750–52 दिनांक 18.06.2012 द्वारा निविदा स्वीकृत की गयी तथा इस कार्यालय पत्रांक 1582–91 दिनांक 02.07.2012 द्वारा राशि रू. 95817424/– मात्र का कार्यादेश जारी किया गया। कार्यादेश के अनुसार कार्य की प्रारम्भिक दिनांक 12.07.2012 एवं समाप्ति दिनांक 11.01.2014, 18 माह (वर्षा ऋतु सहित) निश्चित की गयी। संवेदक को संविदा अनुसार उक्त दिनांक तक कार्य पूर्ण करना था परन्तु उनके द्वारा दिनांक 17.03.2013 तक (लगभग 9 माह) कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया। संवेदक को कार्य प्रारम्भ करने हेतु विभिन्न नोटिस जारी करने के उपरान्त संक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त इस कार्यालय पत्रांक 4760–64 दिनांक 21.01.2013 द्वारा फाईनल नोटिस जारी किया गया। तब जाकर संवेदक ने दिनांक 18.03.13 को कार्य प्रारम्भ किया। प्रारम्भिक तौर पर ही संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने की मंशा रखते हुए कार्य सम्पादन बहुत ही धीमी गति से किया गया। संवेदक द्वारा अपने निर्धारित कार्यकाल दिनांक 11.01.14 तक लगभग 3873364/– का कार्य सम्पादन किया गया एवं मार्च 2014 तक 5994538/– का कार्य सम्पादन किया गया। जबकि संवेदक को उक्त कार्य दिनांक 11.01.2014 तक पूर्ण करना था। संवेदक द्वारा दिनांक 31.07.14 तक अपने तृतीय अपूर्ण फाईनल बिल तक कुल कार्य राशि रू. 8629777/– का कार्य सम्पादन किया तथा दिनांक 03.08.14 को संवेदक ने कार्य अपूर्ण स्थिति में छोड दिया गया तथा कई पत्र लिखे जाने के बाद भी कार्य पुनः शुरू नही किया। अतः अधिशासी अभियन्ता के पत्र क्रमांक 2073–77 दिनांक 26.09.2014 से उनके विरूद्व अनुबन्ध के क्लाज 2 एवं 3 सी के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही की धारा 2 के अन्तर्गत राशि रूपये 95,81,742/– की क्षतिपूर्ति आरोपित की गई जिसमें से राशि रूप्ये

9,08,000/– का समयोजन जमा से कर लिया गया। शेष राशि रूपये 86,73,742/– की वसूली की कार्यवाही प्रगति पर है। धारा 3 सी के अन्तर्गत शेष कार्य की निविदा लगाई जा रही है। जिसका अन्तर राशि की वसूली पृथक से की जावेगी।

Claim No. 1 :- Claim towards security deposit adjusted against EMD amount and balance EMD, amounting Rs. – 6,07,500/-

मैसर्स मण्डा डपलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि. के काउण्सलर श्री हरदयाल सिंह ने कमेटी को अवगत कराया कि विभाग द्वारा उक्त कार्य की विस्तृत ड्राइग नही दी गई, भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नही की गई तथा परियोजना पर प्रर्याप्त बजट उपलब्ध न होने के कारण कार्य सम्पादन नही किया जा सका। अतः सिक्योरिटी डिपोजिट की राशि लौटाई जावें।

कमेटी के समक्ष अधिशासी अभियन्ता ने कार्य की ड्राइंग उपलब्ध कराने तथा कार्य ले आउट समय पर देने के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये तथा भूमि अवाप्ति हेतु धारा 4 व 6 की कार्यवाही के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये तथा स्पष्ट किया कि काश्तकारों द्वारा मुआवजा नही मिलने के कारण कभी भी कार्य में व्यवधान उनके द्वारा नही डाला गया, विभाग द्वारा निर्धारित अवधि तक प्रर्याप्त बजट उपलब्ध कराया गया परन्तु संवेदक द्वारा कार्य को पूर्ण नही करने के लिये वे दोषी है। अधिशासी अभियन्ता ने यह भी अवगत कराया कि संवेदक पर संविदा की धारा 2 के अन्तर्गत आरोपित राशि रू. 9581742/– के पेटे जमा सिक्योरिटी डिपोजिट राशि रू. 608000/– वसूल कर समायोजित कर ली गयी। अतः उक्त भुगतान देय नहीं है एवं क्लेम खारिज करने योग्य है।

दोनो पक्षो की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

Claim No. 2 :- Claim towards unpaid bill, prepared against the work, performed amounting to Rs. – 26,20,187/-

मैसर्स मण्डा डपलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि. के काउण्सलर श्री हरदयाल सिंह ने कमेटी को अवगत कराया कि उनके द्वारा किये गये कार्य राशि 26,20,187/– रूपये जिसका बिल तैयार कर लिया गया है का भुगतान विभाग द्वारा नही किया गया है। अतः उक्त राशि दिलवाई जावें।

अधिशासी अभियन्ता ने कमेटी को अवगत कराया कि संवेदक द्वारा 31.07.14 तक सम्पादित कार्य का बिल राशि रू. 2445817/– का समायोजन संवेदक के विरूद्व बकाया धारा 2 की वसूली के अन्तर्गत किया जाना है। अतः कोई भुगतान संवेदक को देय नही है।

दोनो पक्षो की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

Claim No. 3 :- Claim towards arbitrarily withheld due amounts, under head V-deposite amounting to Rs. – 3,30,451/-

मैसर्स मण्डा डपलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि. के काउण्सलर श्री हरदयाल सिंह ने कमेटी को अवगत कराया कि उनकी Vth deposit में राशि 3,30,451/– अनाधिकृत रूप से रोकी गयी है। अतः उक्त राशि का भुगतान कराया जावें।

अधिशासी अभियन्ता ने कमेटी को अवगत कराया कि संवेदक द्वारा संविदा की धारा 2 के अनुसार प्रोरेटा प्रोग्रेस नहीं बनाये रखने के कारण उनके प्रथम रनिंग बिल से राशि रू. 1.00 लाख एवं द्वितीय रनिंग बिल से राशि रू. 2.00 लाख विविध डिपोजिट में रोकी गयी थी संवेदक पर संविदा की धारा 2 व 3 सी की कार्यवाही के फलस्वरूप संविदा की धारा 2 के अन्तर्गत आरोपित राशि रू. 95,81,742/– के पेटे जमा डिपोजिट राशि रू. 3,00,000/– वसूली पेटे जमा समायोजित कर ली गयी है। अतः उक्त राशि देय नही है।

दोनो पक्षो की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

Claim No. 4 :- Claim towards work executed but not paid at the of contract Termination Rs. – 3,70,000/-

मैसर्स मण्डा डपलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि. के काउण्सलर श्री हरदयाल सिंह ने कमेटी को अवगत कराया कि उनके द्वारा सम्पादित किये गये कार्य राशि 3,70,000/– का अनुबन्ध निरस्तीकरण के कारण नही किया गया है। अतः उक्त राशि का भुगतान कराया जावें।

अधिशासी अभियन्ता ने कमेटी को अवगत कराया है कि संवेदक द्वारा कार्य को अधूरे छोडने के पूर्व सम्पादित कार्य के नाप हेतु संवेदक का अधिकृत प्रतिनिधि वह स्वयं उपस्थित न होकर अन्य अनाधिकृत प्रतिनिधि कार्यस्थल पर उपस्थित हुआ। जिसकी उपस्थिति में उनके द्वारा सम्पादित कार्य का नाप लिया गया। संवेदक ने संविदा की धारा 8 बी के अन्तर्गत अपना बिल प्रस्तुत नहीं किया। विभाग द्वारा लिये गये नाप के अनुसार अपूर्ण फाईनल बिल राशि रूपये 1,89,422/– का तैयार कर संवेदक के वसूली के पेटे समायोजित कर लिया जावेगा।

दोनो पक्षो की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की यह क्लेम उपयुक्त नही हैं। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

Claim No. 5 :- Claim towards Contractor's profit on the balance work or the work quantum withdrawn by way of contract Termination Rs. – 1,30,98433/-

अधिशासी अभियन्ता ने कमेटी को अवगत कराया है कि संवेदक को उक्त कार्य आवंटित दिनांक 12.07.12 को किया गया था संवेदक को कार्य दिनांक 11.1.14 तक पूर्ण करना था उक्त अवधि में कार्य पर किसी प्रकार विभागीय व्यवधान नहीं होने के उपरान्त भी मात्र 3873364/– का कार्य ही सम्पादित किया गया। जो आवंटित कार्य का 4.04 प्रतिशत ही है। जिससे स्पष्ट है कि संवेदक कार्य पूर्ण करने में पूर्ण रूपेण असफल तो रहे ही बल्कि विभाग के कार्य को भी लम्बित ओर किया है जिससे कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो सका। इस प्रकार संवेदक के स्तर पर अनुबन्ध की पालना नही किये जाने के कारण उनके विरूद्व अनुबन्ध की धारा 2 व 3 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की गई है। अतः यह क्लेम निरस्त किये जाने योग्य है।

दोनो पक्षो की बहस सुननें, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

Claim No. 6 :- Claim against interest towards past/pendent-elite and future. Total due amount as on 30-11-2014 = Claim no. 1 to 6 = Rs. – 1,26,60427/-

अधिशासी अभियन्ता ने कमेटी को अवगत कराया कि कान्ट्रेक्ट एक्ट आफ इण्डिया, 1978 के अनुसार संवेदक को कोई ब्याज की राशि भुगतान योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त ऊपर वर्णित क्लेम संख्या 01 से 05 उपयुक्त नही पाये गये है। अतः संवेदक को किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं है।

क्लेम संख्या 01 से 05 खारिज किये जाने के कारण यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम का खारिज करने का लिया गया।

(अशोक बाबेल) अति. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, उदयपुर	(सुमनेश लाल माथुर) अति. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन राज, जयपुर	(जाकिर हुसैन) संयुक्त शासन सचिव प्रतिनिधि वित्त विभाग	(वीरेन्द्र सिंह) वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी प्रतिनिधि विधि विभाग	(अजिताभ शर्मा) शासन सचिव जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर।